भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 4
सोमवार, 04 दिसम्बर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक)

मान्यता प्राप्त ईएसआईसी अस्पताल

*4. **श्री गजानन कीर्तिकर:**
श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों के दौरान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा अनुमोदित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पतालों की संख्या एवं राज्य-वार वर्तमान स्थिति नागपुर सहित क्या है;

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों को मान्यता देने अथवा अनुमोदित करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और उक्त प्रक्रिया के अब तक पूरा न होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त कार्य की कोई समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस कंपनी या ठेकेदार का ब्यौरा क्या है, जिसे उक्त कार्य सौंपा गया है;

(घ) उक्त विलंब के लिए कौन-सा प्राधिकारी/प्राधिकरण जिम्मेदार है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि महाराष्ट्र सहित देश के सभी राज्यों में कामगारों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सभी सुविधाएं मिलें?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

** *****

मान्यताप्राप्त ईएसआईसी अस्पतालों के संबंध में श्री गजानन कीर्तिकर और श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा दिनांक 04.12.2023 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 4 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ङ): पिछले दस वर्षों के दौरान अनुमोदित कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अस्पतालों की स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अस्पताल को मंजूरी एक सतत प्रक्रिया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों, अवधारणा को अंतिम रूप देने, भूमि आवंटन, लागत अनुमान, निर्माण एजेंसी को देने आदि पर निर्भर करती है। परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब अन्य बातों के अलावा उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता, राज्य सरकार/स्थानीय निकाय से वैधानिक अनुमोदन में देरी, भूमि उपयोग के परिवर्तन आदि शामिल हैं। कार्य की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, मेटालर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिए गए हैं। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए ईएसआईसी ने दिशा-निर्देश और एसओपी विकसित किए हैं, पीएमयू की स्थापना की गई है, 'निर्माण डैशबोर्ड' विकसित किया गया है आदि।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अस्पतालों में श्रमिकों को सभी सुविधाएं मिलें, क.रा.बी. निगम (ईएसआईसी) ने नए ईएसआई अस्पतालों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है; ईएसआई लाभार्थियों को कैशलेस इन-पेशेंट चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक/निजी अस्पतालों के साथ टाई-अप व्यवस्था की गई है, यदि ईएसआई अस्पताल या किसी विशेष अस्पताल में इन-हाउस चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के सहयोग से देश में पीएमजेएवाई के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से ईएसआई लाभार्थियों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा सकें; इसके अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निम्नानुसार विभिन्न कदम उठाए हैं:

- ईएसआईसी अस्पतालों में स्वीकृत कर्मचारियों की संस्वीकृत संख्या में वृद्धि की जाए।
- यदि पिछले लगातार तीन वर्षों से ईएसआईसी/ईएसआई स्कीम (ईएसआईएस) अस्पतालों में बिस्तरों का अधिभोग 70 प्रतिशत से अधिक रहा हो तो बिस्तरों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाए।
- राज्य कर्मचारी राज्य बीमा सोसाइटियों का गठन किया जाए ताकि राज्यों को चिकित्सा सेवाओं में सुधार के लिए निर्णय लेने की वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता हो।
- राज्य कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं के लिए परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के अंतर्गत अतिरिक्त बजट का आवंटन किया जाए।

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम उन सभी राज्य सरकारों को अधिकतम सीमा से अधिक 200/- रुपये प्रति बीमित व्यक्ति प्रति वर्ष प्रदान करता है, जहां पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सभी राज्य संचालित ईएसआईएस अस्पतालों में बिस्तर अधिभोग 70% से अधिक रहा हो।

****

अनुबंध

मान्यताप्राप्त ईएसआईसी अस्पतालों के संबंध में श्री गजानन कीर्तिकर और श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा दिनांक 04.12.2023 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 04 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

पिछले दस वर्षों के दौरान अनुमोदित कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत अस्पतालों की संख्या	स्थिति
1.	आंध्र प्रदेश	10	• निर्माण कार्य प्रगति पर - 03 • निर्माण एजेंसी को सौंपा गया कार्य - 01 • राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता का आकलन - 02 • राज्य सरकार द्वारा अभी तक भूमि की पेशकश नहीं की गई है- 04
2	बिहार	2	• राज्य सरकार द्वारा भूमि की पेशकश की जानी अभी बाकी है - 02
3.	छत्तीसगढ	3	• निर्माण कार्य प्रगति पर - 02 • राज्य सरकार द्वारा अभी तक भूमि की पेशकश नहीं की गई है - 01
4.	दिल्ली	1	• निर्माण एजेंसी को सौंपा गया कार्य - 01
5.	गोवा	1	• राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता का आकलन - 01
6.	गुजरात	4	• निर्माण एजेंसी को सौंपा गया कार्य - 01 • राज्य सरकार द्वारा अभी तक भूमि की पेशकश नहीं की गई है -03
7.	हरियाणा	8	• निर्माण कार्य प्रगति पर - 02 • निर्माण एजेंसी को सौंपा गया कार्य - 01 • राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता का आकलन -05
8.	हिमाचल प्रदेश	2	• निर्माण कार्य प्रगति पर-01 • राज्य सरकार द्वारा अभी तक भूमि की पेशकश नहीं की गई है -01
9.	जम्मू एवं कश्मीर (यूटी)	1	• निर्माणाधीन निर्माण कार्य -01
10	झारखंड	2	• राज्य सरकार द्वारा भूमि की पेशकश की जानी अभी बाकी है - 02

11	कर्नाटक	6	• निर्माण कार्य प्रगति पर - 01 • निर्माण एजेंसी को सौंपा गया कार्य - 04 • राज्य सरकार द्वारा अभी तक भूमि की पेशकश नहीं की गई है - 01
12	केरल	2	• राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता का आकलन - 01 • राज्य सरकार द्वारा भूमि की पेशकश नहीं की गई -01
13.	लेह (यूटी)	1	• निर्माण एजेंसी को सौंपा गया कार्य -01
14	मध्य प्रदेश	3	• निर्माण एजेंसी को सौंपा गया कार्य-01 • राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता का आकलन -01 • राज्य सरकार द्वारा अभी तक भूमि की पेशकश नहीं की गई है -01
15.	महाराष्ट्र	19	• निर्माण कार्य प्रगति पर (नागपुर में अस्पताल) - 01 • राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता का आकलन -02 • राज्य सरकार द्वारा अभी तक भूमि की पेशकश नहीं की गई है -16
16	ओडिशा	5	• निर्माण एजेंसी को सौंपा गया कार्य-01 • राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता का आकलन -02 • राज्य सरकार द्वारा अभी तक भूमि की पेशकश नहीं की गई है -02
17.	पंजाब	3	• निर्माण एजेंसी को सौंपा गया कार्य-01 • राज्य सरकार द्वारा अभी तक भूमि की पेशकश नहीं की गई है -02
18.	राजस्थान	4	• निर्माण पूर्ण -01 • निर्माण एजेंसी को सौंपा गया कार्य-01 • राज्य सरकार द्वारा अभी तक भूमि की पेशकश नहीं की गई है -02
19.	सिक्किम	1	• राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता का आकलन- 01
20.	तमिलनाडु	5	• निर्माण कार्य प्रगति पर-01 • राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता का आकलन -01 • राज्य सरकार द्वारा अभी तक भूमि की पेशकश

			नहीं की गई है -03
21	तेलंगाना	3	• राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता का आकलन -01 • राज्य सरकार द्वारा अभी तक भूमि की पेशकश नहीं की गई है -02
22.	त्रिपुरा	1	• निर्माण एजेंसी को सौंपा गया कार्य-01
23	उत्तर प्रदेश	8	• निर्माण एजेंसी को सौंपा गया कार्य-02 • राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता का आकलन - 01 • राज्य सरकार द्वारा अभी तक भूमि की पेशकश नहीं की गई है - 05
24	उत्तराखंड	2	• निर्माण कार्य प्रगति पर - 01 • राज्य सरकार द्वारा अभी तक भूमि की पेशकश नहीं की गई है - 01
25	पश्चिम बंगाल	3	• निर्माण कार्य प्रगति पर - 01 • निर्माण एजेंसी को सौंपा गया कार्य - 01 • राज्य सरकार द्वारा अभी तक भूमि की पेशकश नहीं की गई है - 01
	कुल	**100**	

*****